23.11.19

वादी के अधिवक्ता की हाजिरी है प्रतिवादीगण सं०-
1 से 5 के अधिवक्ता की हाजिरी है
वाद पुकार पर लिया गया। Injunction सुना गया। अभिलेख
वादी के आवेदन u/o 39 नियम 1 एवं 2 CPC दिनांक 3.11.18
तथा उनके प्रतिउत्तर दिनांक 07.12.18 पर आदेशार्थ हेतु
आज ही प्रस्तुत हुआ।

## आदेश

वादी अपने आवेदन में कहते हैं कि यह वाद, वादग्रस्त वाद भूमि पर स्वामित्व तथा दखल कब्जा घोषित करने हेतु दाखिल किया गया है। वादपत्र इस आवेदन का अंश है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। दुखारी शुक्ला की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्र एक साथ रहते थे तथा [illegible] कई जमीन खरीदी या प्राप्त किये। दोनों भाईयों के बीच वर्ष 1935 में बंटवारा हो गया। [illegible] बंटवारा के पूर्व पैगम्बर के नाम से खरीदा जमीन पर उनकी मौखिक रूप से बंटवारा अन्य भूमि के साथ किया गया। वाद भूमि कैलाशपति शुक्ला के हिस्से में आया। वर्ष 1975 में [illegible] शुक्ला द्वारा P.S No - 101/1975 दाखिल किया गया जिसमें [illegible] पक्षकार राजवंशी शुक्ला तथा उनके वारिसानों को बनाया गया। P.S - 101/75 के वादपत्र के अनुसूची - I से यह स्पष्ट है कि उन्हें खाता नं०-14 से 1 बिगहा 19 कट्ठा 19½ धुर, खाता नं० 53, खेसरा 307 से 12 कट्ठा 17 धुर प्राप्त हुआ। शेष जमीन कैलाशपति शुक्ला को हिस्से में प्राप्त हुआ। वाद में प्रतिवादी ने वाद भूमि का जमाबंदी पैगम्बर शुक्ला के नाम से करा लिया। इनके द्वारा बंटवारा वाद 24/08 दाखिल किये। जिसमें [illegible] के द्वारा decree प्राप्त किए तथा अपने नाम से वाद भूमि का जमाबंदी करा लिया। इस बात की वादी को जानकारी होने पर यह वाद दाखिल किया गया। इस वाद में प्रतिवादीगण उपस्थित हो चुके हैं। प्रतिवादीगण वादी को धमकी दे रहे हैं कि उन्हें वाद भूमि से बेदखल कर देंगे या उक्त भूमि को बेच देंगे। यदि वादी को वाद भूमि से बेदखल कर दिया जाता है या बेच दिया जाता है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 03.11.18 को स्वीकृत करते हुए प्रतिवादीगण को विवादित भूमि में हस्तक्षेप करने या बेचने से रोकने के लिए आदेश पारित करने की कृपा करें।

Cont.

T.S - 136/18

SJ - III, Bagaha

लगातार

23.11.19

प्रतिवादीगण अपने प्रतिउत्तर में कहते हैं कि इस वाद में वे लोग अपना W.S दाखिल कर दिये हैं। वादी का वाद पोषणीय नहीं है तथा किसी भी प्रकार का आदेश या अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरुद्ध पारित करने का औचित्य नहीं है। W.S को show cause माना जाए अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का आवेदन दिनांक 03.11.18 खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगणों के विरुद्ध इस आशय का लाया गया है कि PS No. - 24/06 जिसमें विवादित भूमि और म्युटेशन केस नं० - 536/10-11 को अवैध एवं विधिशून्य घोषित करने के लिए लाया गया है और स्थाई निषेधाज्ञा का भी अनुतोष मांगा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि मुकदमा के आधार P.S No. - 24/06 एवं उपरोक्त म्युटेशन केस नं० को अभी तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उसके सही होने की उपधारणा की जाती है अतः वादी पक्ष का प्रथम दृष्टया केस नहीं है। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में नहीं है। वादी पक्ष द्वारा अपने आदेश आवेदन में कहा गया है कि प्रतिवादीगण उनके दखल कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करें और जमीन का अंतरण ना करें। W.S में प्रतिवादीगणों का कहना है कि विवादित जमीन उन्हें उपरोक्त म्युटेशन केस एवं Partition suit से मिली है। चूंकि वादी पक्ष द्वारा भी उपरोक्त केसों की बात को स्वीकार किया गया है। अतः वादी का आदेश आवेदन न्यायहित में इस आशय के साथ खारिज किया जाता है कि वाद का कोई भी पक्षकार बिना न्यायालय के अनुमति के विवादित भूमि का अंतरण नहीं करेगा।

वाद दिनांक 16.12.19 .. वास्ते 89 CPC पर सुनवाई।

Dic

SJ - III